

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक ४५२ / गोपनीय / २०१८
दो-२-१ / २०१८ (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक १० जुलाई, २०१८


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), जिन्हें तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 1994 के नियम-९(सी) के अंतर्गत सेवा से पृथक (Terminate) किये जाने संबंधी आदेश को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के क्रमशः आदेश फा. क्रमांक 2849 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 एवं फा. क्रमांक 2848 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर पुनर्स्थापित किया गया है को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है।

सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशरफ अली, तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर।	नरसिंहपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।
2.	श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर।	बालाघाट	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के क्रमशः आदेश फा. क्रमांक 2849 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 एवं फा. क्रमांक 2848 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 के अनुसार, उक्त जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को सेवा से पृथक किये जाने के दिनांक से पुनः कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


*(अरविंद कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ४५२ / गोपनीय / २०१८
दो-२-१ / २०१८ (भाग-बी)

जबलपुर, दिनांक १० जुलाई, २०१८


प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को उनके विभागीय आदेश क्रमशः फा. क्रमांक 2849 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 एवं फा. क्रमांक 2848 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।

- 4 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश—ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 (1) Shri Ashraf Ali S/o Mohammad Mustafa, R/o Vill-Rampur, Bhaishahi, P.O. - Mateya Khas, P.S. Kuchai Kote, District - Gopalganj, Bihar, Pin Code - 841501,
- (2) Shri Manoj Kumar, H. No. 262 B, Gali No. 4, Shyam Park main, Sahibabad, District Ghaziabad, U.P. - 201005,
को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया यथाशीघ्र अपनी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना, इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर/ बालाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे नव नियुक्त न्यायाधीश को उनकी पदस्थापना के स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। उपरोक्त आदेश में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना पृथक से प्रेषित की जावेगी। कृपया सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना, इस रजिस्ट्री को यथाशीघ्र प्रेषित करें।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर/ ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. संभागीय आयुक्त ————— जिलाध्यक्ष ————— को इस अनुसंधान के साथ प्रेषित है कि जनरल पूल का आवास गृह न्यायिक अधिकारी के आधिपत्य में होने की दशा में उक्त आवासग्रह का आवंटन उक्त न्यायिक अधिकारी के उत्तराधिकारी अथवा प्रचलित परिपाठी के अनुसार अर्हता प्राप्त न्यायिक अधिकारी को करने का कष्ट करें। और ऐसे आवंटन की सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देने का कष्ट करें।
9. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई—मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
- (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०—१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेंसी ऐरिया, इन्डौर—४५२००१/जिला जज (निरीक्षण), २८/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/इन्डौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ५७४, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई०एल)/ (न्यायिक—२)/ (न्यायिक—१)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 10 रजिस्ट्रार (ई०)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्याइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 11 रजिस्ट्रार—कम—माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/इन्डौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

- 14 माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
- 15 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 16 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के क्रमशः आदेश फा. क्रमांक 2849 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 एवं फा. क्रमांक 2848 / 2018 / 21-ब(एक), दिनांक 19-06-2018 के संदर्भ में, सेवा गणना के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 17 अनुभाग अधिकारी, बजट/सहायक (कार्य)/शिकायत/वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/अग्रिम/अवकाश (राजपत्रित)/सिविल चेकर/क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 18 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को संबंधित न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01 / 03 / 2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


 ४ (अरविंद कुमार शुक्ला)
 रजिस्ट्रार जनरल
 ४